दिनांक- 24.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 247/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

पुलिस मुठभेड़ में 12 घंटे के अन्दर लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 04 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹55,200 की लूटी गई धनराशि, अवैध असलहे एवं कारतूस सहित बुलेट बाइक बरामद।

- दिनांक 23 जून 2026 को थाना श्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरा रोड स्थित देशी शराब ठेके के मुंशी शैलेन्द्र कुमार से बुलेट मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 108/26 धारा 126(2)/351(3)/309(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
- घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर एवं जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस पुलिस टीम के साथ संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए।
- इसी क्रम में आज दिनांक 24.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बरा तिगैला से चंडीखुड़ा-सिजहरी मार्ग स्थित निर्माणाधीन पुल के पास घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दो अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि भागने का प्रयास कर रहे दो अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।
- पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र माखन सिंह यादव एवं गोलू कुमार पुत्र अनिल कुमार का उपचार जिला अस्पताल महोबा में चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। दोनों अभियुक्त वर्तमान में उपचाराधीन हैं। जहां चिकित्सकों द्वारा उनकी हालत स्थिर बताई गई है ।

पूछताछ का विवरण-

-गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 23 जून 2026 को ग्राम बरा रोड पर देशी शराब ठेके के मुंशी को रोककर रुपयों से भरा बैग लूट लिया था, आज लूट की धनराशि का आपस में बंटवारा करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे।

पंजीकृत अभियोग-

- पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर धारा 109(1)/352/3(5)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।
- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के अन्य अपराधों की जानकारी की जा रही हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. प्रदीप यादव पुत्र माखन सिंह यादव निवासी मिरतला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा, उम्र 21 वर्ष।
2. गोलू कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मुहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद (हाल पता रोहिणी, नई दिल्ली), उम्र 22 वर्ष।
3. विकास राजपूत उर्फ कल्लू पुत्र ओमप्रकाश राजपूत निवासी ग्राम बरा, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा, उम्र 19 वर्ष।
4. आयुष नौपाने पुत्र अर्जुन नौपाने निवासी कपिलवस्तु, नेपाल (हाल पता रोहिणी, नई दिल्ली), उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- ₹55,200/- नकद (लूट की धनराशि)
- पीड़ित का आधार कार्ड,
- पीड़ित का पैन कार्ड,
- देशी शराब ठेके के हिसाब-किताब संबंधी दस्तावेज
- 02 अवैध तमंचा .315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- घटना में प्रयुक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

थाना श्रीनगर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्रीगर श्री प्रवीण सिंह
2. व0उ0नि0 विजयबहादुर सिंह
3. उ0नि0 संदीप विमल
4. हे0का0 विनोद कुमार
5. हेड का० भानु प्रताप
6. का० सुरेंद्र कुमार

जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री विवेक यादव
3. कं. ऑ. अभिषेक वर्मा 4. कां. दीपक वर्मा
5. कां. रंजीत सिंह 6. कां. निर्भय सिंह
7. कां. आशीष बघेल 8.कां.सत्यम सिंह जादौन
9. कां. कुलदीय यादव 10.कां. नीलेश 11. कां. अभिषेक दुबे

दिनांक- 24.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 248/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 24.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ